

कार्यालय, जिला पंचायत, चन्दौली।

पत्रांक- 425 /जि0पं0/खनिज-ढेका/ई-आक्शन/2026-27

दिनांक-14-9-26

खनिज परिवहन ई-आक्शन/नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-329/जि0पं0/खनिज-ढेका/ई-आक्शन/2026-27, दिनांक-25.07.2026 के द्वारा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र आज के दिनांक-28.07.2026 के अंक में जिला पंचायत, चन्दौली द्वारा खनिज परिवहन शुल्क वसूली का ढेका का विज्ञापन व ऑनलाइन पोर्टल ई-आक्शन के माध्यम निविदा दिनांक-28.07.2026 से दिनांक-18.08.2026 तक आमंत्रित की गयी थी, परन्तु किसी फर्म/व्यक्ति द्वारा प्रतिभाग न किये जाने के कारण पुनः जिला पंचायत चन्दौली द्वारा जनपद में खनिज परिवहन शुल्क वसूली का ढेका/नीलामी वर्ष-2026-27 (01.04.2026 से 31.03.2027) तक की अवशेष अवधि के लिए खनन विभाग से स्वीकृत खनिज उद्गम स्थल विकास खण्ड चहनिया के ग्राम-जमालपुर में गंगा तट से निकलने वाली साधारण गंगा बालू हेतु ई-आक्शन पुनः आमंत्रित की जाती है।

उक्त ई-आक्शन उ0प्र0सरकारी गजट में दिनांक-08.02.2014 को प्रकाशित उपविधि के प्रविधानों एवं दर संशोधित गजट दिनांक-08.02.2014 के अनुसार एवं खनिज परिवहन शुल्क की वसूली शासनादेश संख्या-3-2-2018-114 जी/2008 टी0सी0 पंचायती राज अनुभाग-2 दिनांक-15 फरवरी 2018 के अनुसार की जायेगी।

उपरोक्त खनिज परिवहन करने वाले वाहनों से शुल्क वसूली सम्बन्धी ढेका/नीलामी हेतु ई-आक्शन पोर्टल <http://eauction.gov.in> पर ई-आक्शन हेतु प्रतिभाग किया जा सकता है। ई-आक्शन की समय सारिणी का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	गतिविधि	दिनांक	समय
1	ई-आक्शन के प्रकाशन की तिथि	16.09.2026	12.00 बजे मध्याह्न
2	दास्तवेज अपलोड /प्रारम्भ करने की तिथि	16.09.2026	12.00 बजे मध्याह्न
3	दास्तवेज अपलोड/ भुगतान करने की अंतिम तिथि	26.09.2026	12.00 बजे तक मध्याह्न
4	दास्तवेज के तकनीकी परीक्षण की प्रारम्भ तिथि	26.09.2026	02.00 बजे अपरान्ह
5	दास्तवेज के तकनीकी परीक्षण की अंतिम तिथि	28.09.2026	05.00 बजे अपरान्ह
6	ई- आक्शन की प्रारम्भ तिथि	16.09.2026	12.00 बजे मध्याह्न
7	ई- आक्शन की अंतिम तिथि	26.09.2026	12.00 बजे तक मध्याह्न

ई- आक्शन फॉर्म दिनांक-16.09.2026 को मध्याह्न 12.00 बजे से दिनांक-26.09.2026 के मध्याह्न 12.00 बजे तक <http://eauction.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा। ई- आक्शन फॉर्म का शुल्क 10000.00+ 18 % जीसटी 1800= कुल मु0 11800.00रु0 जिला पंचायत की जिलानिधि खाता संख्या-44811962175 कोड-SBIN00308 भारतीय स्टेट बैंक चन्दौली में जमा कर ऑनलाइन <http://eauction.gov.in> पर ही सबमिट किया जा सकेगा। उक्त ई- आक्शन की तकनीकी विड जिला पंचायत कार्यालय में दिनांक- 18.08.2026 को अपरान्त 02.00 बजे ऑनलाइन नीलामी समिति की उपस्थिति में नीलामदाताओं के समक्ष खोली जायेगी तथा तकनीकी विड के परीक्षणोपरान्त पात्र पाये गये नीलामी दाताओं की वितीय विड उसी दिन खोली जायेगी। उपरोक्त ई-ऑक्शन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला पंचायत कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

ई-ऑक्शन की शर्तें निम्नवत् हैं-

1-नीलामीदाता भारत का निवासी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को नीलामी फार्म मूल्य की रसीद, जमानत धनराशि को बैंकड्राफ्ट अथवा जिलानिधि में जमा धनराशि रसीद की, चरित्र प्रमाण पत्र की, हैसियत प्रमाण पत्र की, फोटो पहचान पत्र आयकर- पैन व जी0एस0टी0एन0 प्रमाण पत्र, नियम-54 सम्बन्धी पदाधिकारियों के सगे सम्बन्धी न होने का शपथ पत्र की मूल कापी से स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा अभिलेखों की हार्डकोपी जिद्धा पंचायत चन्दौली कार्यालय में नीलामी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात् नीलामी की तकनीकी एवं वितीय विड्स खोले जाने के उपरान्त नीलामीदाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे। नीलामी की तकनीकी एवं वितीय विड्स खोले जाने के उपरान्त नीलामीदाता द्वारा मूल अभिलेख एवं नीलामी शुल्क तथा धरोहर धनराशि (EMD) सम्बन्धी डिमाण्ड ड्राफ्टस/आडर्स /प्रतिभूति प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नीलामीदाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की भी कार्यवाही की जायेगी।

2- इस नीलामी हेतु रिजर्व धनराशि रु 11055000.00 रुपये निर्धारित की गयी है। यदि कोई नीलामीदाता किसी धनराशि की बोली लगा देता है तो अगला नीलामीदाता उस धनराशि न्यूनतम रु 11055000.00 रुपये से अधिक धनराशि की नीलामी धनराशि का उल्लेख करेगा।

क- नीलामीदाता पोर्टल पर उपलब्ध ऑक्शन में प्रतिभाग तिथि 28.07.2026 समय 12.00 बजे मध्याह्न से दिनांक-18.08.2026 समय 12.00 बजे मध्याह्न के बीच कर सकते हैं।

ख- नीलामी फॉरवर्ड ऑक्शन में ही की जायेगी।

ग- नीलामीदाता अपनी दरों की सूचना दूसरे नीलामीदाता को नीलामी की अवधि में सूचित / प्रकाशित नहीं कर सकता है। नीलामीदाता किसी अन्य नीलामीदाताओं से मिल कर दरें प्रभावित करने के लिए कार्टन नहीं बना सकता है। ऐसी किसी भी अनुचित गतिविधि पर लिखित एवं पुष्ट शिकायत होने पर सम्बन्धित नीलामीदाता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

• सफल नीलामीदाता को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जमानत राशि नीलामी हेतु रिजर्व धनराशि का 25 प्रतिशत (एक करोड़ से कम रिजर्व धनराशि पर) या रु0-01.00 करोड़ (एक करोड़ से अधिक रिजर्व धनराशि पर) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नीलामी में प्रतिभाग करने से पूर्व अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत-चन्दौली के पदनाम से जमा/ट्रांसफर का सन्दर्भ प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित जमानत एवं पैरा-1 में उल्लिखित अभिलेख संलग्न न होने पर किसी भी नीलामीदाता को प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा।

3-सर्वोच्च नीलामीदाता को लागू उपविधि के पैरा-10 के अनुसार ठेके की पूरी धनराशि रु-1.00 करोड़ नीलामी राशि की स्थिति में एवं एक करोड़ की ऊपर की नीलामी में एक करोड़ रुपया तत्काल जमा करना होगा तथा एक करोड़ को छोड़कर शेष धनराशि तीन समान किश्तों में जमा किया जाना होगा, जिसकी प्रथम किश्त (31 मार्च से न्यूनतम 21 दिन पूर्व, जिससे विपरीत स्थिति में पुनः नीलामी हेतु 21 दिवसों का समय शेष रहे) के पूर्व जमा करने पर कार्यादेश प्राप्त होगा। द्वितीय किश्त 30 जून तक जमा करना एवं तृतीय किश्त 30 सितम्बर तक जमा करना अनिवार्य होगा। अन्तिम तिथियों तक किश्त जमा न करने पर ठेका निरस्त कर जमा जमानत धनराशि जब्त हो जायेगी एवं पुनः ठेका छोड़े जाने में यदि जिला पंचायत को कोई क्षति होती है तो उसकी वसूली (ठेका छोड़ने वाले व्यक्ति) ठेकेदार से की जायेगी। जमानत की धनराशि ठेके की अन्तिम किश्त में समायोजित की जायेगी।

4-जिला पंचायत के खनन परिवहन के किसी बकायेदार को ई-नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। इस हेतु नीलामी समिति द्वारा तकनीकी परीक्षण के समय खनन परिवहन के बकायेदारों की सूची का संज्ञान लिया जायेगा। नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु जिला पंचायत से कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

5-शासनादेश संख्या-623/33-2-2018-114जी /2008 टीसी० पंचायतीय राज अनुभाग-2 दिनांक 15 फ़रवरी 2018 के अनुसार जिला पंचायत द्वारा केवल उदगम स्थल से ही बिना बैरियर लगाये खनिज परिवहन शुल्क की वसूली की जायेगी। इस हेतु राष्ट्रीय राज मार्ग, राष्ट्रीय राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर बैरियर, रस्सी लगाकर अथवा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर इन मार्गों पर वसूली नहीं की जायेगी।

6-कोई भी व्यक्ति, फर्म पंजीकृत फर्म संस्था अथवा जनपद चन्दौली के ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट के बालू, मोरम रेत या अन्य खनिजों मिट्टी पत्थर, बोल्टर, सुरंखी, चूना, मुरमी, कोयला, बजरी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को एकत्रित करने वाले शक्ति चालित वाहन पशुचालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक, मिनी ट्रक, डम्पर बैलगाड़ी, भैसागाड़ी, ऊंटगाड़ी, घोड़ागाड़ी या मानव चालित नौका से परिवहन करेगा तो उसको जिला पंचायत चन्दौली द्वारा निर्धारित शुल्क अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चन्दौली द्वारा निर्धारित स्थल पर जिला पंचायत द्वारा नियुक्त कार्मिक अथवा ठेकेदार को अदा करना होगा।

7-जिला पंचायत के पदाधिकारियों के निकटस्थ जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 की धारा-54 में परिभाषित सम्बन्धित को ई-नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8-उपरोक्त ई-नीलामी में भाग लेने वाले नीलामीदाता/फर्म द्वारा <http://eauction-gov-in> से नीलामी फार्म का मूल्य एवं जमानत धनराशि सीधे जिला पंचायत के नीलामी खाता संख्या-44811962175 SBIN0003618 भारतीय स्टेट बैंक, चन्दौली में जमा किया जा सकेगा ऐसी दशा में नीलामीदाता द्वारा जमा की गई धनराशि जिला निधि में दिनांक- 18.08.2026 मध्यान्ह 12.00 बजे तक प्रविष्ट होने पर ही उसके द्वारा नीलामी प्रतिभाग करने पर विचार किया जायेगा।

9-ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले नीलामीदाता को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (टी4) एवं नीलामी की धनराशि के समतुल्य हैसियत प्रमाण पत्र (टी5) जो बोलीदाता का स्वयं के फर्म का हो देना अनिवार्य होगा।

10-सक्षम अधिकारी से नीलामी स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार को सहायक आयुक्त स्टाम्प चन्दौली द्वारा निर्धारित स्टैम्प पेपर जमा कर अनुबन्ध लिखना होगा तथा नियमानुसार 02 प्रतिशत आयकर एवं उस पर 02 प्रतिशत शिक्षा उपकर भी निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।

11-ठेकेदार को जिला पंचायत से उपलब्ध करायी गयी मुद्रित क्रमांक युक्त प्रमाणित रसीद पर ही शुल्क वसूली करना होगा जिसे ठेकेदार रसीद का मूल्य जमा कर जिला पंचायत से प्राप्त करेगा तथा रसीद के प्रतिपत्र को जिला पंचायत में वापस जमा करेगा। बकाया धनराशि होने पर अपर मुख्य अधिकारी किसी भी दशा में रसीद नहीं देंगे तथा बकाया धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

12-ठेकेदार को निर्धारित शुल्क के अनुसार ही वसूली करना होगा किसी भी दशा में निर्धारित दर से अधिक की वसूली नहीं करेगा।

13-वसूली स्थल पर ठेकेदार को पार्याप्त सफाई, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

14-वसूली स्थल पर ठेकेदार को सहज दृश्य स्थान पर एक 6x6 फीट का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा। रेटबोर्ड पर वसूली स्थल का नाम, ठेकेदार का नाम व पता एवं ठेके की अवधि एवं ठेकेदार का मो0न0 स्पष्ट अक्षरों में लिखना होगा।

15-ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कर्मियों को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी कराया जायेगा। जिसे उन कर्मियों को सदैवित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये गये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने में उपलब्ध करायी जायेगी।

16-सम्बन्धित मण्डल के आयुक्त द्वारा अनुमोदित उपविधि में लागू दरें निर्धारित हैं। दरें नीलामी अवधि के लिये नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। यदि दरें बढ़ाई हैं तो एक ही अनुपात में समस्त दरें बढ़ाई जायेगी और उनके लागू होने की तिथि से दर प्रभावी करने हेतु नीलामीदाता को उतने प्रतिशत से अधिक धनराशि की वचन बढ़ोत्तरी एवं अग्रिम धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति में दरें अगली नीलामी वर्ष में प्रभावी होगी।

1	ट्रैक्टर ट्राली	77.00 रु0 प्रति ट्राली
2	मिनी ट्रक (लाइन गुड्स विहिकल्स)	152.00रु0 प्रति वाहन
3	ट्रक (लाइट विहिकिल्स 06 चक्का)	229.00रु0 प्रति वाहन
4	भारी ट्रक (हेवी गुड्स विहिकल्स 10 चक्का या अधिक 12 पक्का)	304.00रु0 प्रति वाहन

17-समय-समय पर राज्य सरकार अथवा जिला पंचायत स्तर से जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करना स्वत्व नीलामीदाता की बाध्यता होगी।

18-किसी भी बोली/नीलामी को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।

19-भविष्य में जी0एस0टी0 सम्बन्धी शासन से जारी आदेशों का अनुपालन करना सम्बन्धित नीलामीदाता की बाध्यता होगी।

20-उपयुक्त खनिज परिवहन पर किसी भी प्रकार के अंकगणितीय चौक लगाने अथवा अन्य किसी कारण से खनिज परिवहन प्रभावित होता है तो ठेके की धनराशि में कोई छूट अथवा समवृद्धि देय नहीं होगा।

21-स्वत्व नीलामीदाता/ठेकेदार खनिज ठेका मद के सापेक्ष बकाया राशि की आर0सी0 के माध्यम से वसूली किये जाने के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय में प्रतिवाद नहीं करेगा।

22-जनपद चन्दौली में खनन उद्यम स्थलों की सूची <http://eauction-gov-in> तथा जिले की वेबसाइट पर अपलोड है। परन्तु उक्त सूची में किसी स्थान में खनन बन्द होने अथवा युक्त न होने की दशा में किसी प्रकार की छूट का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

23-ठेकेदार से खनिज ठेका मद के सापेक्ष बकाया धनराशि को आर0सी0 के माध्यम से वसूला जायेगा और ठेकेदार इसकी लिखित सहमति देगा तथा किसी भी न्यायालय में बकाया को आर0सी0 के माध्यम से वसूलें जाने पर प्रतिवाद नहीं करेगा। प्रतिवाद की स्थिति में मण्डलायुक्त का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

24-नीलामी नियत तिथि 16.09.2026 से 26.09.2026 तक के मध्याह्न उपरोक्त समयानुसार निर्धारित की गयी है।

25-जिला पंचायत के किसी आदेश/खनन परिवहन उपविधि/शासनादेश/शर्तिनाम/नीलामी की धनराशि जमा करने में किसी धारा का उल्लंघन करने की दशा में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत घटना / समय की तिथि पर अविलम्ब लिखित नोटिस रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल/फोन/वाट्सअप के माध्यम से देगा, जिस पर ई0 मेल जारी/प्राप्त किये जाने से 07 दिवस में उत्तर देना अनिवार्य होगा। जिस पर अपर मुख्य अधिकारी को 03 कार्य दिवसों में निर्णय लेना होगा। संतोषजनक उत्तर न होने पर लिखित आदेश करते हुए अपर मुख्य अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत के लिखित आदेश द्वारा ठेका अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जो दोनों पक्षों को मान्य होगी।

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, चन्दौली।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, चन्दौली।

प्रशासक,
जिला पंचायत, चन्दौली।

पृष्ठांकन व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-प्रशासक महोदय, जिला पंचायत, चन्दौली।
- 2-जिलाधिकारी, चन्दौली।
- 3-मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चन्दौली।
- 4-पुलिस अधीक्षक, चन्दौली।
- 5-वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, चन्दौली।
- 6-अभियन्ता, जिला पंचायत, चन्दौली।
- 7-खान अधिकारी, चन्दौली।
- 8-प्रशासनिक अधिकारी/लेखाकार, जिला पंचायत, चन्दौली।
- 9-निरीक्षक, थाना-कोतवाली सदर बलुआ चन्दौली।
- 10-नाजिर, जिला पंचायत, चन्दौली।
- 11-कम्प्यूटर प्रोग्रामर, जिला पंचायत चन्दौली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त ई-आक्शन सूचना को तत्काल ई-आक्शन की पोर्टल वेबसाइट <http://eauction.gov.in> पर तत्काल अपलोड करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, चन्दौली।